इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 89] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी 2015—फाल्गुन 7, शक 1936

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2015

क्र. 5016-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 1 सन् 2015) जो विधान सभा में दिनांक 26 फरवरी 2015 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०१५

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०१५

विषय सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा १९-क का संशोधन.

४. धारा २०-क का अंत:स्थापन.

५. धारा ४८ का संशोधन.

६. धारा ४८-क का संशोधन.

७. धारा ४८-ग का संशोधन.

८. धारा ४९ का संशोधन.

९. धारा ४९-ङ का संशोधन.

१०. धारा ५०-क का संशोधन.

११. धारा ५३ का संशोधन.

१२. धारा ५४ का संशोधन.

१३. धारा ५६ का संशोधन.

१४. धारा ५७-क का संशोधन.

१५. धारा ५७-ग का संशोधन.

१६. धारा ५७-घ का संशोधन.

१७. धारा ५८ का संशोधन.

१८. धारा ८० का स्थापन.

१९. धारा ९० का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०१५.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०१५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (क-एक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(क-दो) ''प्रशासक'' से अभिप्रेत है तृतीय श्रेणी कार्यपालक से अनिम्न श्रेणी का कोई शासकीय सेवक जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सोसाइटी के कारबार के संचालन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है और जो रजिस्ट्रार के नियंत्रण के अधीन तथा मार्गदर्शन में कार्य करेगा;'';

(दो) खण्ड (ज ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(ज ज-एक) ''कार्यपालक मजिस्ट्रेट'' से अभिप्रेत है दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) की धारा २० के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी;'';

(तीन) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(ड-एक) ''शासन प्रायोजित कारबार'' से अभिप्रेत है केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी योजना या कार्यक्रम के अधीन सोसाइटी द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलाप;'';

धारा १९-क का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १९-क में, खण्ड (घ) का लोप किया जाए.

धारा २०-क का अंत:स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा २० के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

सदस्यों, संचालक मंडल के सदस्यों तथा कर्मचारियों के लिए सहकारिता का प्रशिक्षण.

''२०-क. (१) प्रत्येक सोसाइटी, अपने सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर या जिला स्तर की सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से, सहकारिता संबंधी मामलों में प्रशिक्षण आयोजित करवाएगी.

(२) संचालक मंडल का प्रत्येक सदस्य ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसे अंतराल पर तथा ऐसे संस्थान में, जैसा कि विहित किया जाए, सहकारिता संबंधी मामलों में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा.''.

धारा ४८ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ४८ में, उपधारा (१०) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१०) संचालक मंडल, आकस्मिक रिक्तियों को, यदि संचालक मंडल की अवधि उस तारीख को, जिसको कि ऐसी रिक्ति हुई है, दो वर्ष या उससे कम है तो उसी वर्ग के सदस्यों के सहयोजन द्वारा भर सकेगा :

परन्तु यदि संचालक मंडल के सदस्यों की शेष अवधि दो वर्ष से अधिक है और जहां निर्वाचन के पश्चात् स्थान रिक्त रह जाता है या कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, तो रिक्ति सदस्यों के, उसी वर्ग से, जिसके कि संबंध में रिक्ति उद्भूत हुई है, निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी.".

धारा ४८-क का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ४८-क में, उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(४)(क) कोई भी व्यक्ति, किसी सोसाइटी के अध्यक्ष या सभापति या उपाध्यक्ष या उप सभापति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह संसद् या विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है या जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय स्थानीय निकाय, मण्डी बोर्ड या मण्डी समिति में किसी पद पर निर्वाचित हो जाता है :

परन्तु यदि कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी के अध्यक्ष या सभापति या उपाध्यक्ष या उप सभापति का पद धारण करता है और वह जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय स्थानीय निकाय, मण्डी बोर्ड या मण्डी समिति में किसी पद पर निर्वाचित हो जाता है, तो सोसाइटी का अध्यक्ष या सभापति या उपाध्यक्ष या उप सभापति उस तारीख से, जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, कार्य करना बंद कर देगा तथा वह पद उपरोक्त तारीख से स्वत: रिक्त हो जाएगा.

(ख) किसी सोसाइटी का कोई सदस्य जो कि संसद अथवा विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित है या जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय स्थानीय निकायों, मण्डी बोर्ड या मण्डी समिति के किसी पद पर निर्वाचित है, किसी सोसाइटी के संचालक या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित किया जा सकेगा.".

धारा ४८-ग का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ४८-ग में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ख) सभापति, अन्य पदाधिकारियों तथा प्रतिनिधियों को निर्वाचित करना;".

धारा ४९ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ४९ में,—

(एक) उपधारा (२), (३) एवं (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"(२) ऐसे सम्मिलन की सूचना, सम्मिलन की तारीख से कम से कम पूर्ण चौदह दिनों पूर्व ऐसे अधिकारी को दी जाएगी, जिसमें कि सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की शक्ति निहित की गई हो.

(३) रजिस्ट्रार या ऐसा अधिकारी, जिसे सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, ऐसे सम्मिलन में स्वयं उपस्थित हो सकेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उसमें उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा.

(४) रजिस्ट्रार या ऐसे अधिकारी को, जिसे सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, उपधारा (१) के खण्ड (क), (ग), (घ) तथा (ङ) में विनिर्दिष्ट किए गए विषयों से संबंधित किसी भी मामले में सम्मिलन को संबोधित करने का अधिकार होगा.";

(दो) उपधारा (७-क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"(७-क) (क) संचालक मंडल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मंडल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पांच वर्ष होगा.

(ख) संचालक मंडल के कार्यकाल के ५ वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मंडल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गए समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा और छह मास की कालावधि के भीतर संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करवाएगा :

परन्तु सहकारी बैंक की दशा में, रजिस्ट्रार या प्रशासक एक वर्ष की कालावधि के भीतर बैंक के संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करवाएगा.

(ग) विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी सोसाइटी का निर्वाचन कराये जाने की अवधि को कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी.

(घ) अन्य सोसाइटी के लिए संचालक मंडल द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल, सोसाइटी के संचालक मंडल के कार्यकाल के साथ-साथ चलेगा :

परन्तु यदि ऐसे प्रतिनिधि अन्य सोसाइटी के संचालक मंडल में सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाते हैं, उस सोसाइटी के संचालक मंडल के, जिसके लिये वे निर्वाचित हुए हैं, कार्यकाल की समाप्ति तक पद पर बने रहेंगे.".

धारा ४९-ङ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ४९-ङ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक शीर्ष सोसाइटी के लिए, जहां राज्य सरकार ने उसकी अंश पूंजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिए गए उधारों के प्रतिसंदाय की प्रत्याभूति दी है, या सोसाइटी ने सरकार द्वारा प्रायोजित कोई कारबार किया है या केन्द्र या राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कोई क्रियाकलाप किया हो और उपरोक्त दो कारोबारों से संयुक्तत: या पृथकत: उसकी कुल राशि इसके कुल कारबार से ५० प्रतिशत या उससे अधिक हो, वहां प्रथम वर्ग के अधिकारी की पदश्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक प्रबंध संचालक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा.";

(दो) उपधारा (२) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति,—

(एक) धारा ५४ के अधीन संधारित संवर्ग के अधिकारियों में से यदि ऐसा संवर्ग सृजित किया गया है, की जाएगी.

(दो) ऐसी सोसाइटी के जहां राज्य सरकार ने उसकी अंश पूंजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिए गए उधारों के प्रतिसंदाय की प्रत्याभूति

दी है या सोसाइटी ने सरकार द्वारा प्रायोजित कोई कारोबार किया है या केन्द्र या राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कोई क्रियाकलाप किया हो और उसकी कुल राशि इसके कुल कारबार से ५० प्रतिशत या उससे अधिक हो, रजिस्ट्रार द्वारा की जाएगी.

(तीन) अन्य दशाओं में, रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी.''.

धारा ५०-क का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ५०-क में, उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्—

''(४) कोई भी व्यक्ति सोसाइटी के संचालक मंडल, प्रतिनिधि या प्रतिनिधि-मंडल के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी होने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसके नाम के विरुद्ध नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने के समय मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों को देय कोई शोध्य छह मास से अधिक की कालावधि के लिए बकाया हो.''.

धारा ५३ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ५३ में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (च) का लोप किया जाए;

(दो) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

''परन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए प्रशासक की पदावधि कुल एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी :

परन्तु यह भी कि ऐसी किसी को-आपरेटिव सोसाइटी के संचालक मंडल को अतिष्ठित नहीं किया जाएगा अथवा निलम्बित नहीं रखा जावेगा जहां सरकार का कोई अंश न हो अथवा सरकार द्वारा कोई ऋण या वित्तीय सहायता अथवा गारंटी न दी गई हो अथवा सोसाइटी सरकार द्वारा प्रायोजित कारबार करती है या केन्द्र या राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में क्रियाकलाप किया हो और उपरोक्त दो कारोबारों से संयुक्त: या पृथकत: उसके कुल कारबार का ५० प्रतिशत से अधिक टर्न ओवर न हो :

परन्तु यह और भी कि सहकारी बैंक के मामले में, अधिक्रमण का आदेश रिजर्व बैंक से पूर्व परामर्श किए बिना पारित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि रिजर्व बैंक से परामर्श करना बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का १०) के उपबंधों तक सीमित होगा :

परन्तु यह और भी कि प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में यदि कोई ऐसी संसूचना, जिसमें रिजर्व बैंक के विचार अन्तर्विष्ट हों, उस निवेदन के, जिसमें कि परामर्श चाहा गया हो, उस बैंक को प्राप्त होने के ३० दिन के भीतर प्राप्त न हो, तो यह उपधारणा की जाएगी कि रिजर्व बैंक प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है तथा रजिस्ट्रार ऐसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, पारित करने के लिये स्वतंत्र होगा :

परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रार के रिजर्व बैंक के अभिमत से सहमत न होने की दशा में, वह लिखित कारण दर्शाते हुए आदेश पारित कर सकेगा.''

(तीन) उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(५) इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक, रजिस्ट्रार के नियंत्रण तथा मार्गदर्शन में सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करेगा और प्राधिकारी के निदेशों के अधीन निर्वाचन कराने की व्यवस्था करेगा."

(चार) उपधारा (७) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "तथा उपधारा (१) के अधीन नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "तथा उपधारा (१) के अधीन नियुक्त प्रशासक" स्थापित किए जाएं;

(पांच) उपधारा (१०) में,—

(क) प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह और भी कि रिजर्व बैंक का परामर्श बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का १०) के उपबंधों तक सीमित होगा.".

(ख) विद्यमान द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रार का रिजर्व बैंक के परामर्श से सहमत न होने की दशा में, वह लिखित कारण दर्शाते हुए आदेश पारित कर सकेगा.".

(छह) उपधारा (१२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१२) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सोसाइटी का संचालक मंडल किसी न्यायालय के आदेश के कारण या विहित गणपूर्ति के अभाव में कार्य करने से प्रविरत हो जाए, तो रजिस्ट्रार उस समय तक के लिए संचालक मण्डल के स्थान पर प्रशासक को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकेगा जब तक कि न्यायालय का आदेश बातिल न हो जाए या नवीन निर्वाचन न हो जाए तथा संचालक मण्डल कार्यभार ग्रहण न कर ले:

परन्तु यदि सोसाइटी यथाविहित गणपूर्ति के अभाव में कार्य करने से प्रविरत हो जाए तो रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक छह माह की कालावधि के भीतर और सहकारी बैंक की दशा में ऐसे प्रशासक की नियुक्ति की तारीख से, एक वर्ष की कालावधि के भीतर, निर्वाचन कराएगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि संचालक मण्डल प्रभार ग्रहण करें:

परन्तु यह और कि विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार, उसके कारण दर्शाए जाने पर, कुल एक वर्ष से अनधिक कालावधि के अध्यधीन रहते हुए, एक बार में छह माह से अनधिक के लिए सोसाइटी का निर्वाचन आगे बढ़ा सकेगी:

परन्तु यह और भी कि, सहकारी बैंक के मामले में, प्रशासक की नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार द्वारा रिजर्व बैंक को भेजी जाएगी.".

धारा ५४ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ५४ में, उपधारा (२) एवं (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(२) रजिस्ट्रार, शीर्ष सोसाइटियां तथा केन्द्रीय सोसाइटियां, अधिकारियों तथा अन्य सेवकों के ऐसे संवर्ग बनाए रखेंगे, जिसका कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे और ऐसे संवर्ग के सदस्यों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा अवधारित करे.

(३) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उन सोसाइटियों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो उपधारा (२) के अधीन, रजिस्ट्रार, शीर्ष सोसाइटियों या केन्द्रीय सोसाइटियों द्वारा बनाए गए ऐसे संवर्गों में से, जैसे कि उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधिकारियों को नियोजित करेगी और उन सोसाइटियों के वर्ग के लिए, यह बाध्यकारी होगा कि वह ऐसे संवर्ग के अधिकारियों को, जबकि रजिस्ट्रार या शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटियों द्वारा उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाए, स्वीकार करे तथा उन्हें संवर्ग पदों पर नियुक्त करे.".

धारा ५६ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ५६ में, उपधारा (३) में,—

(एक) प्रथम परन्तुक का लोप किया जाए;

(दो) द्वितीय परन्तुक में, शब्द "यह और कि" का लोप किया जाए.

धारा ५७-क का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा ५७-क में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(२) उपधारा (१) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, तीस दिन के भीतर, उप-निरीक्षक की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा कि वह किसी ऐसे स्थान में, जहां कि वह अभिलेख तथा संपत्ति रखी हुई हो या जहां कि उन अभिलेखों तथा संपत्ति का रखा जाना संभाव्य हो, प्रवेश करे और उनकी तलाशी ले तथा उनका अभिग्रहण करके उनका कब्जा यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्ति को सौंप दे:

परन्तु विशेष परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करते हुए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तीस दिन के बाद भी अग्रसर हो सकेगा.".

धारा ५७-ग का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा ५७-ग में, उपधारा (९) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(९) "इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, राज्य स्तर पर रजिस्ट्रार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी, संभागीय स्तर पर संयुक्त पंजीयक और जिला स्तर पर उप / सहायक पंजीयक क्रमश: राज्य समन्वयक, संभागीय समन्वयक तथा जिला समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे और निर्वाचन का संचालन करने के लिए ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हें प्राधिकारी द्वारा सौंपे जाएं.".

धारा ५७-घ का संशोधन.

१६. मूल अधिनियम की धारा ५७-घ में,—

(एक) उपधारा (४) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यदि सोसाइटी, प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसी जानकारी, पुस्तकों तथा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराती है तथा सोसाइटी प्राधिकारी द्वारा की गई अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहती है तो प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ऐसी सोसाइटी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए रजिस्ट्रार को सूचित करेगा.".

(दो) उपधारा (५) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए, तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए:—

"परन्तु यदि सोसाइटी, प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध नहीं कराती है तथा सोसाइटी, प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसी सहायता उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रजिस्ट्रार को ऐसी सोसाइटी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सूचित करेगा.".

धारा ५८ का संशोधन.

१७. मूल अधिनियम की धारा ५८ में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (क) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यदि सोसाइटी की कोई साधारण निकाय किसी संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा करने वाली फर्म को नियत समय पर नियुक्त करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार, संपरीक्षक या संपरीक्षक फर्म को नियुक्त करेगा तथा लेखों की संपरीक्षा कराएगा:

परन्तु यह और कि प्रत्येक सहकारी बैंक और ऐसी सोसाइटियों में, जहां कि राज्य सरकार ने उनकी अंश पूंजी में अभिदाय दिया हो या ऋण या वित्तीय सहायता दी हो या किसी अन्य रूप में दिए गए प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है या सोसाइटी ने सरकार द्वारा प्रायोजित कोई कारबार किया हो या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि के रूप में कोई क्रियाकलाप किया हो और उपरोक्त दो कारबारों की कुल राशि पृथकत: या संयुक्तत: ५० प्रतिशत या उससे अधिक हो, तो रजिस्ट्रार द्वारा संपरीक्षा कराए जाने के लिए संपरीक्षक या संपरीक्षक फर्म की नियुक्ति अनुमोदित पैनल में से की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि किसी परिसमापन सोसाइटी की दशा में, परिसमापक, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल में से किसी संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत होगा.".

(दो) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(घ) शीर्ष सोसाइटी, जिसका वार्षिक टर्नओवर १०० करोड़ रुपये से अधिक है, तो ऐसी सोसाइटी के संपरीक्षित वित्तीय पत्रक विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.".

धारा ८० का स्थापन.

१८. मूल अधिनियम की धारा ८० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

मामलों का अंतरण या प्रत्याहरण.

"८०. रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा से या किसी भी पक्षकार के आवेदन पर किसी भी समय,—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले या किन्हीं मामलों के वर्ग के विनिश्चय हेतु, जो उसके समक्ष निपटारे अथवा विचारण के लिए लंबित हैं, अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को अंतरित कर सकेगा, जो ऐसे मामले या मामलों के वर्ग को विनिश्चित करने या निपटारा करने में सक्षम हो, या

(ख) अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी लंबित मामले या मामलों के वर्ग को, विचारण या निपटारे हेतु प्रत्याहरित कर सकेगा या किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी को, जो ऐसे मामले या मामलों के वर्गों का विनिश्चय करने या निपटारा करने के लिए सक्षम हो, विचारण अथवा निपटारे हेतु अंतरित कर सकेगा.".

धारा ९० का संशोधन.

१९. मूल अधिनियम की धारा ९० में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन" के स्थान पर, शब्द "इस अधिनियम या अन्य अधिनियम के अधीन" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के कतिपय उपबंधों के क्रियान्वयन में व्यावहारिक एवं वैधानिक कठिनाइयां अनुभव की गयी हैं. अतएव, अधिनियम को यथोचित रूप से संशोधित किए जाने का विनिश्चय किया गया है.

२. प्रस्तावित संशोधन निम्नानुसार हैं:—

खण्ड २— ''प्रशासक'', ''कार्यपालक मजिस्ट्रेट'' तथा ''शासकीय प्रायोजी कारबार'' की परिभाषा प्रस्तावित की गई है.

खण्ड ३— विनिर्दिष्ट पद की निरर्हता को धारा १९-क से हटाने का उपबंध प्रस्तावित किया गया है.

खण्ड ४— सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सहकारी प्रशिक्षण हेतु उपबंध प्रस्तावित किया गया है.

खण्ड ५— जहां संचालक मंडल की पदावधि के दौरान आकस्मिक रिक्ति उद्भूत हो जाए, वहां ऐसी रिक्ति की पूर्ति करने हेतु उपबंध प्रस्तावित किया गया है.

खण्ड ६— विद्यमान उपबंध को और अधिक स्पष्ट बनाए जाने हेतु आवश्यक उपबंध प्रस्तावित किया गया है.

खण्ड ७— प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के लिए संचालक मंडल की शक्ति प्रस्तावित की गई है.

खण्ड ८— वार्षिक साधारण सभा की सूचना रजिस्ट्रार को या जिसने सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की है, दिया जाना प्रस्तावित है. यह भी प्रस्तावित है कि जब संचालक मंडल के सदस्यों की पदावधि समाप्त होती है तो सदस्यों के पद रिक्त समझे जाएंगे तथा रजिस्ट्रार या प्रशासक प्रभार ग्रहण करेगा और निर्वाचन संचालित कराएगा. यह भी प्रस्तावित है कि राज्य सरकार को विशेष परिस्थितियों में निर्वाचन को अधिकतम एक वर्ष की कालावधि के लिए बढ़ाए जाने के लिए सशक्त किया जाए.

खण्ड ९— सोसाइटियों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से आवश्यक उपबंध प्रस्तावित किया गया है.

खण्ड १०— यह प्रस्तावित है कि किसी ऐसे अभ्यर्थी को संचालक मण्डल के सदस्य, प्रतिनिधि या सोसाइटी के प्रतिनिधि के निर्वाचन में भाग लेने से निरर्ह किया जाए जिस पर कि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों का उसके नाम पर छह मास से अधिक की कालावधि के शोध्य देय हों.

खण्ड ११— विद्यमान उपबंधों में कतिपय अनियमितताएं अनुभव की गई हैं. अनियमितताओं को दूर करने के उद्देश्य से उपबंध को युक्तियुक्त रूप से पुनरीक्षित किया जाना प्रस्तावित है. यह भी प्रस्तावित है कि सहकारी बैंकों की दशा में प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में रिजर्व बैंक के परामर्श को कुछ सीमा तक सीमित किया जाए.

खण्ड १२— मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के संवर्ग को बनाए रखने के लिए रजिस्ट्रार को समर्थ बनाने के उद्देश्य से विद्यमान उपबंध को संशोधित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

खण्ड १३— यह प्रस्तावित किया गया है कि किसी सोसाइटी के संबंध में विद्यमान शास्ति उपबंध को प्राथमिक सहकारी साख संरचना पर भी लागू किया जाए. अत: परन्तुक का लोप किया गया है.

खण्ड १४— सोसाइटी के अभिलेखों तथा संपत्ति को विनिर्दिष्ट समय के भीतर जब्त किए जाने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सशक्त किया गया है.

खण्ड १५— यह प्रस्तावित किया गया है कि राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा निर्वाचन के संचालन के लिए यथा न्यस्त रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी समन्वयक होंगे.

खण्ड १६— जहां कि सोसाइटी अभिलेख तथा अन्य सामग्रियां उपलब्ध नहीं कराती है तथा प्राधिकरण को सहायता नहीं प्रदान करती है तो प्राधिकरण सोसाइटी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए रजिस्ट्रार को सूचित करेगा.

खण्ड १७— यह प्रस्तावित है कि जहां सोसाइटी लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षण करने वाली फर्म को नियुक्त नहीं करती है तो रजिस्ट्रार लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षणकर्ता फर्म को नियुक्त करेगा और लेखाओं का लेखा परीक्षण कराएगा. ऐसे सहकारी बैंक तथा ऐसी सोसाइटियों के संबंध में जहां कि राज्य सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, लेखा परीक्षक की नियुक्ति रजिस्ट्रार द्वारा की जाएगी. यह भी प्रस्तावित है कि जब शीर्ष सोसाइटी की कुल राशि (टर्न ओवर) १०० करोड़ रुपये से अधिक है तो लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी.

खण्ड १८— मामलों के अंतरण एवं प्रत्याहरण के उपबंधों को युक्तियुक्त रूप से पुनरीक्षित किया गया है.

खण्ड १९— यह प्रस्तावित है कि रजिस्ट्रार अन्य अधिनियमों की शक्तियों का भी प्रयोग करेगा.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १६ फरवरी २०१५

गोपाल भार्गव
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०१५ में जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य शासन को किया जा रहा है उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड ४ द्वारा सहकारी संस्थाओं के सदस्यों, पदाधिकारियों एवं अधिकारियों, कर्मचारियों को सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से सहकारिता संबंधी मामलों में प्रशिक्षित करने;

खण्ड ९ द्वारा शीर्ष सहकारी संस्थाओं में जहां राज्य सरकार ने उसकी अंशपूंजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता या प्रत्याभूति दी है या सोसायटी ने सरकार द्वारा प्रायोजित कोई कारबार किया है या राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कोई क्रियाकलाप किया हो और उपरोक्त कारबारों की राशि इसके कुल कारबार से ५० प्रतिशत या उससे अधिक हो, वहां प्रबंध संचालक की नियुक्ति करने;

खण्ड ११ द्वारा प्रशासक की पदावधि में एक वर्ष की वृद्धि तथा सोसाइटी का निर्वाचन छह मास से अनधिक अवधि के लिए आगे बढ़ाने;

खण्ड १२ द्वारा शीर्ष तथा केन्द्रीय सोसाइटियों में अधिकारियों एवं अन्य सेवकों के संवर्ग की सेवा शर्तें निहित किए जाने;

खण्ड १४ द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को अभिलेख तथा संपति अभिग्रहण करने हेतु प्राधिकारी प्राधिकृत करने; तथा

खण्ड १७ द्वारा सहकारी संस्थाओं के साधारण निकाय द्वारा संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म को नियुक्ति करने में असफल रहने पर संपरीक्षा कराये जाने हेतु प्रक्रिया सुनिश्चित किये जाने;

के संबंध में नियम बनाये जायेंगे जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.